खंड . 2 अंक . 9 अप्रैल 2020

1945 से राष्ट्र सेवा में समर्पित

जलांश

केंद्रीय जल आयोग का मासिक सूचना पत्र

संदेश
आर.के. जैन
अध्यक्ष, के.ज.आ

जल क्षेत्र एक ऐसा जटिल क्षेत्र है जिसमें विभिन्न हितधारक संगठन / संस्थान शामिल हैं जो विभिन्न शासनादेशों को लागू करते हैं जिससे समग्र जल क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है. ऐसी स्थिति में विभिन्न संगठनों के बीच उचित समन्वय और परस्पर चर्चा की आवश्यकता है. के.ज.आ. भारत में जल क्षेत्र का प्रमुख संगठन है जो हमेशा इस दिशा में प्रयासरत रहता है. हाल ही में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) - के.ज.आ. के पुनर्गठित संयुक्त पैनल की पहली बैठक डॉ. त्रिलोचन महापात्र, सचिव, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डीएआरई), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय एवं महानिदेशक, आईसीएआर की अध्यक्षता और मेरी सह-अध्यक्षता में हुई.

मैंने 19.03.2020 को के.ज.आ., नई दिल्ली में भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ समिति की 5वीं बैठक की अध्यक्षता भी की. इस बैठक में विभिन्न हितधारक संगठनो नामतः आईएमडी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जीएफसीसी, गृह मंत्रालय, एनडीएमए, एनआरएससी, के.ज.आ., नीति आयोग और आईआईटी का प्रतिनिधित्व किया गया.

ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि., जल शक्ति मंत्रालय का एक तकनीकी विंग होने के नाते केंद्रीय जल आयोग के विभिन्न विशेषज्ञ निदेशालयों द्वारा बाह्य सहायता के लिए राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत जल क्षेत्र के प्रस्तावों की जांच की जाती है.

विश्व बैंक और एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) के साथ बाह्य सहायता के लिए प्रस्तुत "वेस्ट बंगाल मेजर इरिगेशन एंड फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट (डब्ल्यूबीएमआईएमपी)" नामक एक परियोजना की चर्चा मेरे द्वारा 04.03.2020 को ली गई. समीक्षा बैठक के दौरान के.ज.आ. और जीएफसीसी के अधिकारी भी थे .

के.ज.आ. ने डीडब्लूआरआईएस योजना के अंतर्गत एचओ साइटों की संख्या में काफी वृद्धि की है. साइटों की संख्या में वृद्धि होने से इनका पर्याप्त मानवबल और उपकरणों से सुसज्जित होना आवश्यक है. के.ज.आ. के मंडलों को मजबूत करने के लिए विभिन्न प्रयास चल रहे हैं और हाल ही में 17 मंडलों के लिए सहायक स्टाफ की हायरिंग के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.

के.ज.आ. की फील्ड इकाइयाँ, सक्रिय रूप से केंद्रीय सहायता प्राप्त जल संसाधन परियोजनाओं के प्रबोधन में लगी हुई हैं, जो इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में निधियों को समय पर जारी करने और अड़चनों को दूर करने का आधार प्रदान करता है. ज.सं.न.वि.एवं गं.सं.वि. ने पीएमकेएसवाई के एआईबीपी घटक के अंतर्गत शामिल विभिन्न परियोजनाओं के लिए मार्च महीने के दौरान लगभग 688 करोड़ रुपये मंजूर किए. प्राथमिकता प्राप्त 99 एआईबीपी वित्त पोषित परियोजनाओं में से लगभग 40 परियोजनाओं के पूर्ण होने की सूचना भी मिली. इन प्राथमिकता वाली परियोजनाओं ने 2016-19 के दौरान कुल 18 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता का सृजन किया है.

डीआरआईपी का आगामी चरण शीघ्र ही शुरू होने वाला है और इसलिए इस संबंध में तैयारी जोरों पर हैं ताकि इसे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुरू किया जा सके.

विश्व को कोविड-19 के रूप में एक अभूतपूर्व खतरे का सामना करना पड़ रहा है जिसके परिणामस्वरूप 24.03.2020 के बाद से देशव्यापी बंद चल रहा है. के.ज.आ. के अधिकारियों / कर्मचारियों को कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए सरकार के प्रयास में सहायता करने के लिए आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत (पीएम केयर्स) कोष में अपना एक दिन का वेतन दान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया. के.ज.आ. के अधिकारी / कर्मचारी आयोग के कार्यों को लगातार जारी रखने के लिए ई-ऑफिस और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफार्मों का उपयोग कर रहे हैं. माननीय मंत्री जी द्वारा लॉकडाउन अवधि के दौरान कई महत्वपूर्ण बैठकें ली गईं, जिनमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंत्रालय और के.ज.आ. सहित उसके संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया.

इस चुनौतीपूर्ण समय में, मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि कोविड -19 से संबंधित महामारी को रोकने की दिशा में सरकार और हेल्थकेयर पेशेवरों के निर्देशों का अनुपालन करें और उन लोगों का सर्वोत्तम संभव तरीके से सहायता करें जिन्हें मदद की आवश्यकता है.

विषय-वस्तु

- डब्ल्यूबीएमआईएफएमपी की व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए समीक्षा बैठक
- आईसीएआर - के.ज.आ. संयुक्त पैनल की बैठक
- नबरंगपुर सिंचाई परियोजना
- राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना
- जल वैज्ञानिक प्रेक्षण के लिए सहायक सेवाओं की हायरिंग
- बाढ़ प्रवण क्षेत्रों के वैज्ञानिक आकलन हेतु 5वीं बैठक
- उझ और द्वितीय रावी -ब्यास लिंक की डीपीआर तैयारी की समीक्षा
- पीएमकेएसवाई-एआईबीपी परियोजनाओं की समीक्षा
- राष्ट्रीय परियोजनाओं की प्रगति
- जलविद्युत उत्पादन
- बेरिनियम एचईपी की भू-भौतिक जांच
- परियोजना प्रबोधन
- जिला चित्रकूट (उ.प्र) और मंदाकिनी नदी का दौरा
- हथिनीकुंड बैराज का दौरा
- डीआरआईपी
- गंगा आमंत्रण अभियान
- **एमसीटीपी**
- डाटा कॉर्नर
- झारखंड में परियोजनाओं का दौरा
- जलाशय प्रबोधन
- राज्यों से समाचार
- जल क्षेत्र - समाचार
- आईएसआरडब्लूडी नियमों में संशोधन के लिए समिति
- विश्व जल दिवस
- झारखंड में सर्वे एवं अन्वेषण
- शोक संदेश
- इतिहास से - भारत में बाढ़ का पूर्वानुमान

डबल्यूबीएमआईएफएमपी की व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए समीक्षा बैठक

श्री आर.के. जैन, अध्यक्ष, के.ज.आ. ने 04.03.2020 को वर्ल्ड बैंक और एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) के बाह्य सहायता के साथ प्रस्तावित"वेस्ट बंगाल मेजर इरिगेशन एंड फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट (डबल्यूबीएमआईएफएमपी)" की मंजूरी के मुद्दे पर एक समीक्षा बैठक की. इस समीक्षा बैठक में के.ज.आ. और गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जीएफसीसी) के अधिकारियों ने भाग लिया. जीएफसीसी की ओर से श्री एम.एस. ढिल्लों अध्यक्ष(जीएफसीसी), श्री शेर सिंह, सदस्य(पी) और श्री रितेश खट्टर, निदेशक और के.ज.आ. से श्री एस.के. हलधर, सदस्य(डब्लूपीएंडपी), मुख्य अभियंता(पीपीओ), निदेशक(जल विज्ञान - उत्तर) और निदेशक(बाह्य सहायता) ने उक्त बैठक में भाग लिया. ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि., जल शक्ति मंत्रालय का एक तकनीकी विंग होने के नाते केंद्रीय जल आयोग के विभिन्न विशेषज्ञ निदेशालयों द्वारा बाह्य सहायता के लिए राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत जल क्षेत्र के प्रस्तावों की जांच की जाती है. निदेशक(बाह्य सहायता), के.ज.आ. इस मामले के लिए नोडल अधिकारी हैं.

डबल्यूबीएमआईएफएमपी का लक्ष्य दुर्गापुर बैराज से निकली नहरों का पुनर्वास और आधुनिकीकरण, सतही जल और भूजल का साथ-साथ उपयोग एवं निचली दामोदर नदी प्रणाली में बाढ़ प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना है.

प्रस्तावित परियोजना पश्चिम बंगाल राज्य के चार जिलों नामतः बांकुरा, बर्धमान (पूर्व और पश्चिम) हुगली तथा हावड़ा में स्थित है. सिंचाई प्रणाली में सुधार से नहर के पानी की आपूर्ति में 125311 हैक्टेयर-मी (152377 हैक्टेयर-मी से 277688 हैक्टेयर-मी) तक बढ़ोतरी से 82.2% की वृद्धि परिकल्पित गई है. बाढ़ प्रबंधन के उपाय में मुख्य रूप से पायलट चैनल के साथ मुंडेश्वरी नदी की ड्रेजिंग, 41 अन्य छोटी नदियों और जल निकासी चैनलों की डीसिलटेशन, तटबंधों पर फ़्लड वाल का निर्माण, मौजूदा तटबंधों में सुधार और मजबूती, चयनित स्थानों पर नदी ट्रेनिंग कार्य, स्लूइस की रिमाडलिंग और पुनर्निर्माण कार्य शामिल है.

अनुमानित लागत	रु. 2931.67 करोड़(413 मिलियन यूएस डालर)
लागत में साझेदारी	35% (विश्व बैंक), 35% (एआईआईबी), 30% (पश्चिम बंगाल सरकार)

इस बैठक के दौरान, के.ज.आ. और जीएफसीसी दोनों के द्वारा शीघ्रातिशीघ्र परियोजना का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न निर्णय लिए गए.

संयुक्त पैनल की बैठकें बारंबार आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया ताकि बैठकों के दौरान लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी की जा सके और इसे सुनिश्चित किया जा सके.

आईसीएआर - के.ज.आ. संयुक्त पैनल की बैठक

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) - के.ज.आ. के पुनर्गठित संयुक्त पैनल की पहली बैठक डॉ. त्रिलोचन महापात्र, सचिव, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और महानिदेशक, आईसीएआर की अध्यक्षता और श्री आर.के. जैन, अध्यक्ष, के.ज.आ. की सह-अध्यक्षता में 13.03.2020 को राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर (एनएएससी), पूसा, नई दिल्ली में आयोजित हुई.

पैनल के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, प्रतिभागियों ने विभिन्न मुद्दों नामतः वर्तमान और भविष्य के जलवायु परिवर्तन परिदृश्यों के अंतर्गत बेसिन के पैमाने पर भूमि क्षरण और जल संसाधनों की उपलब्धता, सिंचाई परियोजनाओं के कार्य मूल्यांकन, सिंचाई जल मूल्य निर्धारण और प्रभावित करने वाले कारकों के अध्ययन, जल लेखा परीक्षा और जल संरक्षण, नहर के पानी के संयोजक उपयोग, खारे जल और अपशिष्ट/ खराब गुणवता वाले पानी, बाढ़ और बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों का आकलन, जलग्रस्त और लवणीय भूमि के सुधार, मोल जलनिकास और सब-सरफेस जलनिकास तकनीक के इस्तेमाल आदि पर प्रकाश डाला. बैठक के बाद भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई), नई दिल्ली के अपशिष्ट जल उपचार और प्रिसीजन सिंचाई प्रणाली का दौरा हुआ और सभी प्रतिभागियों ने इन प्रणालियों का मुआयना किया.

नबरंगपुर सिंचाई परियोजना, ओडिशा

ननबरंगपुर वृहत सिंचाई परियोजना ओडिशा के नबरंगपुर जिले के तेंतुलिखुंती ब्लॉक में गोदावरी बेसिन में इंद्रावती जलाशय के अनुप्रवाह में स्थित है. इंद्रावती नदी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है. इस परियोजना में इंद्रावती बांध के दाईं ओर खातिगुडा-महुलपट्ना रोड को पार करते हुए 300 मीटर लंबी सुरंग के निर्माण और 23 डिस्ट्रिब्यूटरी वाले नहर नेटवर्क की परिकल्पना की गई है. मुख्य नहर को हेड रेगुलेटर से शुरू कर 52.35 किमी तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है. इस परियोजना का निर्माण इंद्रावती जलाशय के भंडारण का उपयोग करके खरीफ अवधि के दौरान 15,000 हेक्टेयर सीसीए को लाभान्वित करने और नबरंगपुर जिले (तेंतुलिखुंती, नन्दाहंदी और नबरंगपुर ब्लॉक) के आसपास के आदिवासी इलाकों में पीने के पानी की सुविधाओं को पहुँचाने हेतु प्रस्तावित है. वार्षिक सिंचाई से 43,047 हेक्टेयर भूमि को लाभ मिलेगा और इस परियोजना की प्रस्तावित लागत 278.99 करोड़ रूपए है. यह परियोजना मूल्यांकन के लिए के.ज.आ. में प्राप्त की गई और वर्तमान में परियोजना के अंतर-राज्यीय पहलुओं की जांच की जा रही है. के.ज.आ. के दिशानिर्देशों के अनुसार, एक अंतर-राज्यीय बेसिन के पानी का उपयोग पूरी तरह से अंतर-राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्णय या उपलब्ध मान्य अंतर-राज्यीय समझौते के अनुरूप होना चाहिए.

राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना

राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के अंतर्गत कावेरी, नर्मदा और यमुना घाटियों में बेसिन-वार विस्तारित हाइड्रोलॉजिकल पूर्वानुमान(बहु सप्ताहिक पूर्वानुमान) की परामर्शी सेवाओं के प्रस्ताव पर विश्व बैंक से एनओसी प्राप्त होने के बाद अनुमोदन के लिए ज.सं.न.वि.एवं गं.सं.वि. को भेज दिया गया है.

राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के अंतर्गत असम के अलावा पूर्वोत्तर राज्यों मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड तथा नर्मदा में नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के लिए आरटीडीएएस के खरीद हेतु केंद्रीय जल आयोग द्वारा आमंत्रित निविदा की तकनीकी टेंडर का मूल्यांकन किया गया. नर्मदा बेसिन की आरटीडीएएस निविदा के संबंध में वित्तीय टेंडर खोली गई.

सात नदी बेसिनों नामतः रामगंगा, बराक, नर्मदा, कावेरी और पश्चिमी घाटों में पश्चिम की ओर बहने वाली तीन नदियों नामतः कुटियाडिपुझा, पीची और मंगलम बेसिन में तलछट दर और तलछट परिवहन के आकलन के लिए भौतिक आधारित गणितीय मॉडलिंग की परामर्श सेवाओं के संबंध में दो बोलीकर्ताओं से आरएफपी की तकनीकी टेंडर का मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है.

एनएचपी के अंतर्गत के.ज.आ. द्वारा आप्लवन पूर्वानुमान के साथ प्रारंभिक बाढ़ चेतावनी प्रणाली के लिए एक्स्प्रेसन ऑफ़ इंटरेस्ट (ईओआई) आमंत्रित किए गए हैं. 5 ईओआई प्राप्त हुई हैं और इनका मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है.

के.ज.आ. द्वारा के.ज.आ. के क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के अंतर्गत 14 एडीसीपी और 7 उन्नत जल गुणवत्ता उपकरणों (4 जीसीएमएस और 3 आईसीपीएमएस) की खरीद के लिए निविदा आमंत्रित की गयी .

जल वैज्ञानिक प्रेक्षण के लिए सहायक सेवाओं की हायरिंग

अध्यक्ष , के.ज.आ. द्वारा 17 मंडलों के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न नदियों पर जल वैज्ञानिक प्रेक्षण हेतु सहायक सेवाओं की हायरिंग हेतु निविदा आमंत्रित करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति, व्यय की मंजूरी और तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई . इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

बाढ़ प्रवण क्षेत्रों के वैज्ञानिक आकलन हेतु विशेषज्ञ समिति की 5वीं बैठक

भारत में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों के वैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ समिति की 5वीं बैठक श्री आर.के. जैन, अध्यक्ष, के.ज.आ., की अध्यक्षता में 19.03.2020 को के.ज.आ., नई दिल्ली में आयोजित हुई. बैठक में आईएमडी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जीएफसीसी, गृह मंत्रालय, एनडीएमए, एनआरएससी, नीति आयोग और के.ज.आ. के अधिकारियों ने भाग लिया. प्रो. नयन शर्मा- आईआईटी रुड़की, प्रो. अरुप के. शर्मा- आईआईटी गुवाहाटी और क्षेत्रीय समितियों के सदस्य सचिवों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया.

के.ज.आ. ने रिमोट सेंसिंग तकनीकों के माध्यम से उपग्रह तस्वीर के विश्लेषण के द्वारा भारत के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र पर अध्ययन प्रस्तुत किया जिसे गूगल अर्थ इंजन एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफ़ेस पर लैंडसैट (1984-2019), सेंटिनल -1 और 2 (माइक्रोवेव और मल्टीस्पेक्ट्रल 2015 से 2019) के उपग्रह तस्वीर के माध्यम से बाढ़ के नक्शों के चित्रण द्वारा किया गया था. विशेषज्ञ समिति के सदस्यों ने के.ज.आ. और एनआरएससी द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली, मानदंडों और संसाधनों के बारे में गहन चर्चा की. चूंकि एनआरएससी पहले से ही विभिन्न राज्यों के फ़्लड हज़ार्ड एटलस बनाने की प्रक्रिया में है, इसलिए विशेषज्ञ समिति ने महसूस किया कि एनआरएससी अध्यक्ष, के.ज.आ. / विशेषज्ञ समिति के लिए जल्द से जल्द अपना अध्ययन प्रस्तुत कर सकता है, ताकि आवश्यक निर्णय लेने के लिए विशेषज्ञ समिति की अगली बैठक के शुरू होने से पहले एक साझा निष्कर्ष सामने हो.

उझ और दूसरी रावी-ब्यास लिंक के लिए डीपीआर तैयारी की प्रगति की समीक्षा

उझ और द्वितीय रावी -ब्यास लिंक परियोजना की डीपीआर की तैयारी की प्रगति की समीक्षा करने और भविष्य की कार्रवाई का निर्णय करने के लिए अध्यक्ष, के.ज.आ. की अध्यक्षता में 05.03.2020 को एक बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में जल शक्ति मंत्रालय, के.ज.आ., पंजाब और जम्मू व कश्मीर सरकार के अधिकारियों ने भाग लिया.

बैठक में, उझ परियोजना के अतिरिक्त कमान की डीपीआर तैयार करने की प्रगति को जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया और डीपीआर की तैयारी के लिए विभिन्न गतिविधियों के लिए समय सीमा तथा इसके मूल्यांकन पर निर्णय लिया गया. ये दोनों परियोजनाएं उन 16 परियोजनाओं में से हैं, जिन्हें मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है.

राष्ट्रीय परियोजनाओं की प्रगति

मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में घोषित 16 परियोजनाओं में से पांच पोलावरम सिंचाई परियोजना (आंध्र प्रदेश), सरयू नहर परियोजना (उत्तर प्रदेश), गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना (महाराष्ट्र), तीस्ता बैराज परियोजना (पश्चिम बंगाल) और शाहपुरकंडी बांध परियोजना (पंजाब) को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए जाने के बाद निष्पादित किया जा रहा है. प्राप्त नवीनतम जानकारी के अनुसार इन पाँच राष्ट्रीय परियोजनाओं में सृजित और उपयोग की गई क्षमता का विवरण बगल की तालिका में दर्शाया गया है.

(*भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लिकेशन एंड जिओ-इन्फार्मेटिक्स (बीआईएसएजी) द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार सरयू नहर परियोजना के अंतर्गत फसली क्षेत्र.

जलविद्युत उत्पादन

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) से उत्पादन की निगरानी करता है . वर्ष 2019-20 के दौरान जल विद्युत उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है. फरवरी, 2020 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, जल विद्युत उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 8.73% की वृद्धि हुई है.

बेहतर बढ़ोतरी के कारण, इस वर्ष के दौरान कुल बिजली उत्पादन में जल-विद्युत उत्पादन का प्रतिशत भी बढ़ा है.

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी परियोजनाओं की समीक्षा

देश में लॉकडाउन के बाद अध्यक्ष, के.ज.आ. ने 99 निर्माणाधीन प्राथमिकता वाली पीएमकेएसवाई-एआईबीपी परियोजनाओं में से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की परियोजनाओं के लिए 31.3.2020 को एक समीक्षा बैठक (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) ली. श्री एस.के. हलधर, सदस्य(डब्लूपीएंडपी), मुख्य अभियंता(पीएमओ), निदेशक(डब्लूपीएंडपी समन्वय), निदेशक(प्रबोधन-केंद्रीय) दिल्ली से वीसी में शामिल हुए. के.ज.आ. के क्षेत्रीय कार्यालयों से मुख्य अभियंता(एमसीओ), नागपुर और मुख्य अभियंता(एमटीबीओ), गांधीनगर के साथ-साथ प्रबोधन और मूल्यांकन से संबंधित निदेशक वीसी में शामिल हुए. इस बैठक में प्रत्येक परियोजना के मुद्दे जैसे कि वर्तमान स्थिति, अड़चनें, के.ज.आ. द्वारा इन अड़चनों को दूर करने के प्रयासों और परियोजना अधिकारियों को सलाह देने, सिंचाई क्षमता निर्माण का लक्ष्य एवं अब तक निर्मित क्षमता तथा पूर्ण होने की संभावित तिथि पर चर्चा की गई.

परियोजना	चरम सिंचाई क्षमता (हजार हेक्टेयर)	सृजित सिंचाई क्षमता (हजार हेक्टेयर)	सिंचाई क्षमता उपयोग (हजार हेक्टेयर)
सरयू नहर	1404	1096	615.84*
गोसीखुर्द	250.8	103.203	58.224
पोलावरम	291	121	118
शाहपुरकंडी	37.17	-	-
तीस्ता	527	197	104

वित्तीय वर्ष	2019-20 (फरवरी.20 तक)	2018-19	2017-18	2016-17
उत्पादित यूनिट (बिलियन में)	146.67	134.89	126.12	122.38
वार्षिक वृद्धि	8.73%	6.95%	3.06%	0.83%

बेरिनियम एचईपी, जिला किश्तवाड़, जम्मू-कश्मीर की भू-भौतिक जांच

नींव की भू-भौतिक जांच एक महत्वपूर्ण तकनीक है और बड़े पैमाने पर जल संसाधन परियोजनाओं के लिए उपयोग की जाती है. बेरिनियम हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (एचईपी) पद्दर घाटी, जिला किश्तवाड़, जम्मू-कश्मीर में चिनाब नदी पर प्रस्तावित है, जिसका अन्वेषण सिंधु बेसिन संगठन, के.ज.आ., चंडीगढ़ के अंतर्गत चिनाब डिवीजन, के.ज.आ., जम्मू द्वारा किया जा रहा है. बेरिनियम एचईपी की अन्वेषण और डीपीआर तैयार करने के लिए वर्ष 2019-20 में भू भौतिक जांच एक महत्वपूर्ण निर्धारित लक्ष्य था. तदनुसार, डॉ. डी.वी. सरवडे, वैज्ञानिक-डी के नेतृत्व में सीएसएमआरएस, नई दिल्ली के अधिकारियों की एक टीम ने 26.02.2020 से 07.03.2020 तक परियोजना स्थल का दौरा किया और के.ज.आ., जम्मू के अधिकारियों के साथ भू-भौतिक जांच की.

भूकंपीय अपवर्तन सर्वेक्षण सहित अन्वेषण चिनाब नदी के बाएं और दाएं किनारे के विभिन्न स्थानों पर 115 मीटर लंबाई के 8 भागों के लिए किया गया चूंकि जांच आरबीएम (रिवर बॉर्न मटीरियल) पर की गई थी, इसलिए शॉक वेव्स बनाने के लिए विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया. परियोजना स्थल के दूरस्थ स्थान, नदी के दुर्गम बाएं तट के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सुरक्षा और संरक्षा की अपेक्षित चुनौतियां थीं. हालांकि, इनका समाधान स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग के सहयोग से के.ज.आ., जम्मू के अधिकारियों द्वारा कर लिया गया.

परियोजना प्रबोधन

अर्जुन फीडर के 15.400 कि.मी. पर स्थित वीआरबी के पास निर्माण कार्य

अर्जुन सहायक परियोजना का प्रबोधन दौरा

प्रबोधन और मूल्यांकन निदेशालय, के.ज.आ., आगरा की एक टीम में शामिल श्री जी.एल. बंसल, निदेशक और श्री मयंक सुहृद, उप निदेशक ने 3 से 4 मार्च, 2020 के दौरान सिंचाई और जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों के साथ अर्जुन सहायक परियोजना का दूसरा प्रबोधन दौरा किया.

अर्जुन सहायक परियोजना जिसके एआईबीपी घटक के लिए अनुमानित लागत 2465.68 करोड़ रूपए है, 99 प्राथमिकता वाली पीएमकेएसवाई परियोजनाओं में शामिल है. अर्जुन फीडर (लहचूरा बांध से अर्जुन बांध तक फीडर), कबरई फीडर (अर्जुन बांध से कबरई बांध तक), कबरई बांध और मुख्य नहर के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं. इस परियोजना के पूर्ण होने का लक्ष्य मार्च, 2021 है.

यह परियोजना मौजूदा लहचूरा बांध से फीडर चैनलों के माध्यम से अर्जुन, चंद्रावल और कबरई बांधों को भरने के लिए बरसात के मौसम में धसान नदी के अधिशेष जल के उपयोग की परिकल्पना करती है. इस परियोजना में 1.713 लाख हेक्टेयर का जीसीए है, जिसमें से 1.497 लाख हेक्टेयर सीसीए है. चरम सिंचाई क्षमता 44,381 हेक्टेयर है, जिसमें से खरीफ सिंचाई के लिए 18,963 हेक्टेयर और रबी सिंचाई के लिए 25,418 हेक्टेयर है. परियोजना के पूरा होने पर 44,381 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता निर्मित की जाएगी और 15,104 हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता पुनःबहाल की जाएगी. इसके अलावा, महोबा, हमीरपुर और बांदा जिलों को 20 एमसीएम पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा. इस परियोजना से 168 गांवों के 1,49,755 किसान लाभान्वित होंगे.

मध्य गंगा नहर परियोजना-द्वितीय चरण का प्रबोधन दौरा

प्रबोधन और मूल्यांकन निदेशालय, के.ज.आ., आगरा की एक टीम में शामिल श्री जी.एल. बंसल, निदेशक और श्री मयंक सुहृद, उप निदेशक ने 18 से 20 मार्च, 2020 के दौरान सिंचाई और जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों के साथ मध्य गंगा नहर परियोजना द्वितीय चरण का दूसरा प्रबोधन दौरा किया.

मध्य गंगा नहर परियोजना द्वितीय चरण जिसके एआईबीपी घटक की अनुमानित लागत 4284.46 करोड़. रूपए है 99 प्राथमिकता वाली पीएमकेएसवाई परियोजनाओं में शामिल है.

यह परियोजना उत्तर प्रदेश में अमरोहा, संभल और मुरादाबाद जिलों में खरीफ सिंचाई के लिए बिजनौर में मध्य गंगा परियोजना प्रथम चरण के मौजूदा बैराज के बाएँ रेगुलेटर के माध्यम से मॉनसून के दौरान गंगा नदी के 1943 एमसीएम अधिशेष जल के उपयोग की परिकल्पना करती हैं. इस परियोजना में 2.55 लाख हेक्टेयर का जीसीए है, जिसमें से 2.25 लाख हेक्टेयर सीसीए है. चरम सिंचाई क्षमता 1,46,532 हेक्टेयर है, जिसमें से धान और अन्य खरीफ फसलों के अंतर्गत क्षेत्र क्रमशः 78,902 हेक्टेयर और 67,630 हेक्टेयर हैं.

इस परियोजना में 66.2 किमी लंबी मुख्य नहर जो बिजनौर में एमजीसी बैराज के बाएं किनारे पर से शुरू होती है, दो शाखा नहर नामतः बहजोई और चंदौसी तथा 1,321 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली वितरण प्रणाली शामिल है.

वर्ष 2015-18 के दौरान निर्माण कार्य रुका रहा. वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान धनराशि जारी होने के बाद इसे फिर से शुरू किया गया था और अब यह पूरे जोरों पर है. इस परियोजना के पूर्ण होने का लक्ष्य मार्च, 2021 तक है.

पीएमकेएसवाई - एआईबीपी के अंतर्गत स्कीमों के लिए स्वीकृत निधि

मार्च, 2020 के दौरान पीएमकेएसवाई - एआईबीपी के अंतर्गत 68,886.47 लाख रूपए की केंद्रीय सहायता राशि नीचे दिए गए विवरण के अनुसार मंजूर की गई.

क्रम. सं.	योजना का नाम	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	धनराशी (लाखों में)
1	दुर्गावती	बिहार	1412
2	मुख्य रावी नहर का पुनरूद्धार और आधुनिकीकरण	जम्मू व कश्मीर	157.2
3	भीमा एलआईएस	कर्नाटक	510
4	भीमा एलआईएस	कर्नाटक	1027.5
5	माही परियोजना	मध्यप्रदेश	126.25
6	वाघुर	महाराष्ट्र	1468
7	अर्जुना	महाराष्ट्र	429.5
8	बेम्बला	महाराष्ट्र	4096
9	धोमबल्कावाडी	महाराष्ट्र	905.6
10	लोअर वर्धा	महाराष्ट्र	3083
11	तराली	महाराष्ट्र	1058
12	कुदाली मध्यम सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र	174.8
13	लोअर इंद्रा (केबीके)	महाराष्ट्र	755
14	एकीकृत आनंदपुर बैराज	महाराष्ट्र	530
15	शाहपुरकंडी बांध परियोजना	पंजाब	5952.9
16	नर्मदा नहर	राजस्थान	9361.72
17	पेद्दावागु @ जगन्नाथपुर	तेलंगाना	229
18	सरयूनहर(एनपी)	उत्तर प्रदेश	35830
19	मध्य गंगा नहर चरण-II	उत्तर प्रदेश	1780
		कुल	68886.47

स्रोत : पीएमकेएसवाई -एआईबीपी वेबसाइट

मुख्य नहर के 26.975 कि.मी. पर स्थित एक्वाडक्ट पर कार्य प्रगति

के.ज.आ. के अधिकारियों द्वारा जिला चित्रकूट (उ.प्र.) और मंदाकिनी नदी दौरा

सचिव, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि., जल शक्ति मंत्रालय ने निर्देश दिया कि के.ज.आ. को संरक्षण व राज्य सरकार द्वारा मुख्य रूप से मनरेगा के अंतर्गत किए गए छोटी नदियों के डीसिल्टेशन के प्रभाव का अध्ययन करना चाहिए ताकि यह समझा जा सके कि क्या इस तरह के कार्य (जैसे डीसिल्टेशन) नदी के संरक्षण में मदद कर सकते हैं.

तदनुसार, प्रबोधन और मूल्यांकन निदेशालय, के.ज.आ., आगरा की एक टीम में शामिल श्री जी.एल. बंसल, निदेशक और श्री मयंक सुहृद, उप निदेशक ने 05 से 06 मार्च, 2020 के दौरान जिला प्रशासन एवं उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के संबंधित अधिकारियों के साथ चित्रकूट जिले और मन्दाकिनी नदी का दौरा किया और अपनी रिपोर्ट के.ज.आ. (मु.),नई दिल्ली को सौंपी.

पैसूनी (स्थानीय रूप से मंदाकिनी के नाम से ज्ञात है) नदी पिंडरा गांव, मझगवां ब्लॉक, सतना (एमपी) जिले के निकट खिल्लोरा की पहाड़ियों से निकलती है, जो समुद्र तल से 156 मीटर की ऊँचाई पर है और एमपी में लगभग 59 कि.मी. और उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में लगभग 71 कि.मी. बहने के बाद राजापुर (यूपी) के समीप यमुना नदी में मिलती है. नदी का कुल जलग्रहण क्षेत्र लगभग 1956 वर्ग किमी है.

यह नदी चित्रकूट में सती अनुसुइया मंदिर के बाद बारहमासी हो जाती है जहाँ इसे दोनों ओर के फाल्ट ज़ोन से भूजल प्राप्त होता है. चूना पत्थर की कंदरायुक्त प्रकृति के कारण, यह सती अनुसुईया मंदिर से आगे कई स्थानों पर नदी को पोषित करता है.

दौरे के दौरान यह देखा गया कि यमुना नदी के साथ संगम तक नदी में लगातार पानी बह रहा था. किसान इस पानी को सीधे अपने खेतों में पंप करके सिंचाई के लिए ले रहे हैं. पेयजल के लिए भी पानी लिया जा रहा है. मंदाकिनी नदी में किए गए डी-सिल्टिंग और गहरी खुदाई के काम के परिणामस्वरूप छिद्रों की सफाई और जल निकासी का मार्ग खुल गया है. भूजल नदी में निरंतर प्रवाह के रूप में दिखाई दिया.

बन्धोइन वीयर, चित्रकूट

हथिनीकुंड बैराज के लिए डिजाइन टीम का दौरा

श्री एस.के. सिब्बल, मुख्य अभियंता, डिजाइन (एनएंडडब्ल्यू), के.ज.आ. के नेतृत्व में डिजाइन टीम ने 12 से 13 मार्च 2020 को हथिनीकुंड बैराज का दौरा किया जिसमें क्षतिग्रस्त ग्लैसिस और डाउनस्ट्रीम एप्रन के साथ-साथ सील, ट्रैक और फाटकों के रखरखाव से संबंधित मुद्दे हैं.

डीआरआईपी - उत्तर प्रदेश में बांधों का निरीक्षण

डीआरआईपी के निर्देश के अनुसार, उत्तर प्रदेश के एक बांध सुरक्षा समीक्षा पैनल ने विभिन्न बांधों नामतः ललितपुर जिले के बेतवा नदी पर स्थित माताटीला बांध, ललितपुर जिले में शाजाद नदी पर गोविंद सागर बांध और हमीरपुर जिले में बिरमा नदी (बेतवा की सहायक नदी) पर स्थित मैहदा बांध का 17 से 21 मार्च 2020 तक निरीक्षण किया. इस पैनल की अध्यक्षता श्री एस.एम. हुसैन, पूर्व-अध्यक्ष, के.ज.आ. द्वारा की गई और इसमें श्री विवेक त्रिपाठी, निदेशक, तटबंध निदेशालय(ईएंडएनई) ने पैनल के सदस्य(डिजाइन) के तौर पर उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ भाग लिया.

डीआरआईपी के अंतर्गत आपातकालीन कार्य योजना (ईएपी) को लागू करने के लिए हितधारकों की परामर्श बैठक

ईएपी, सभी हितधारकों की आपातकालीन तैयारियों को बेहतर बनाने में मदद करता है, जिसमें प्रभावित होने वाले संभावित लोगों, बांध संचालन और रखरखाव कर्मियों, बचाव और राहत प्रदान करने वाले संगठनों के साथ-साथ कानून और व्यवस्था बनाए रखने वाले लोग शामिल हैं. डीआरआईपी के अंतर्गत आने वाले सभी बांधों के लिए ईएपी तैयार की जा रहीं हैं. मार्च के महीने में, तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 5 बांधों नामतः अवलंच बांध, एमराल्ड बांध, कुंडाहा पालम बांध, पेगंबलहल्लाह बांध और नीलगिरि जिले, कुंडाह बेसिन में पोर्थिमुंड बांध के लिए एक दिवसीय ईएपी हितधारकों की परामर्श बैठक का आयोजन पोर्ट पर 04.03.2020 को किया गया. केरल जल संसाधन विभाग ने भी 6 बांधों नामतः मलमपुझा बांध, कान्हीरापुझा बांध, वालयार बांध, पोथुनुडी बांध, मीनकारा बांध और चूलियार बांध के लिए पलकड़ में 05.03.2020 को ईएपी हितधारकों की परामर्श बैठक का आयोजन किया. इन बैठकों में के.ज.आ., विश्व बैंक, एनडीएमए, एनडीआरएफ, जीएसआई, आईएमडी, जिला प्राधिकरणों के अधिकारियों ने भाग लिया.

गंगा आमंत्रण अभियान

श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री ने 13.03.2020 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत आयोजित गंगा आमरण अभियान के फ्लैग-इन समारोह की अध्यक्षता की. श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और श्री रतन लाल कटारिया, राज्य मंत्री जल शक्ति, सामाजिक न्याय और अधिकारिता भी इस अवसर पर भारत सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उपस्थित थे.

आईबीओ में विविध कार्यक्रम

श्री शिव नंदन कुमार, मुख्य अभियंता(आईबीओ), के.ज.आ. ने जी.बी. पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन द्वारा 3 से 5 मार्च, 2020 के दौरान लेह में आयोजित "लद्दाख सस्टेनेबल समिट -2020" में भाग लिया.

हिंदी कार्यशाला का आयोजन एमएंडए निदेशालय, के.ज.आ., जम्मू द्वारा 17.03.2020 को जम्मू में किया गया. उपरोक्त कार्यशाला में मुख्य अभियंता(आईबीओ), चंडीगढ़ के कार्यालय, एमएंडए निदेशालय, जम्मू, प्रबोधन निदेशालय, श्रीनगर और चिनाब डिवीजन, जम्मू के अधिकारियों ने भाग लिया.

एमसीटीपी

के.ज.अ.से. समूह 'क' के पच्चीस एसटीएस अधिकारी मार्च, 2020 के दौरान अनिवार्य संवर्ग प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमसीटीपी) में शामिल हुए. एनडब्ल्यूए, पुणे, आईआईएससी बेंगलुरू और आईआईएम बेंगलुरु में तीन सप्ताह का कार्यक्रम 2 से 20 मार्च, 2020 के दौरान आयोजित किया गया. एआईटी, बैंकॉक में कार्यक्रम के चौथे सप्ताह को कोविड-19 महामारी के मद्देनजर टाल दिया गया.

झारखंड में सिंचाई परियोजनाओं का दौरा

झारखंड में 31 सिंचाई परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए 29.08.2017 को जल संसाधन विभाग, झारखंड और केंद्रीय जल आयोग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया. इन परियोजनाओं की सर्वे एवं अन्वेषण गतिविधियों को के.ज.आ. के क्षेत्रीय संगठनों बीएंडबीबीओ और वाईबीओ को सौंपा गया था और के.ज.आ.(मुख्यालय) में डिजाइन निदेशालय डीपीआर तैयार करने में क्षेत्रीय इकाइयों की सहायता कर रहे हैं.

अन्वेषणाधीन योजनाओं में से चार योजनाओं का बीसीडी(एनडब्लूएंडएस) निदेशालय के निदेशक और उप निदेशक द्वारा प्लानिंग सर्कल, के.ज.आ., फरीदाबाद के अधिकारियों के साथ 17 से 20 मार्च 2020 के दौरान संयुक्त रूप से दौरा किया गया. प्रस्तावित बांध स्थल, स्पिलवे स्थल, जलाशय क्षेत्र, कमान क्षेत्र - दाएं और बाएं किनारे की मुख्य नहरों, नहर संरचनाओं के संभावित स्थानों आदि का दौरा किया गया.

जलाशय प्रबोधन

केन्द्रीय जल आयोग साप्ताहिक आधार पर देश भर के 123 जलाशयों की सक्रिय भंडारण स्थिति की निगरानी करता है और हर ब्रहस्पतिवार को एक बुलेटिन जारी करता है. इन 123 जलाशयों की कुल सक्रिय भंडारण क्षमता 171.090 बीसीएम है जो देश में निर्मित अनुमानित 257.812 बीसीएम की सक्रिय भंडारण क्षमता का लगभग 66.36 % है.

दिनांक 26.03.2020 के जलाशय भंडारण बुलेटिन के अनुसार इन जलाशयों में उपलब्ध सक्रिय भंडारण 88.119 बीसीएम है जो इन जलाशयों की कुल सक्रिय भंडारण क्षमता का 52% है. हालाँकि, पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान उपलब्ध सक्रिय भंडारण 55.333 बीसीएम था और पिछले 10 वर्ष में सक्रिय औसत भंडारण 58.021 बीसीएमहै . इस प्रकार इन जलाशयों में उपलब्ध सक्रिय भंडारण पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान सक्रिय भंडारण का 159% और पिछले 10 वर्ष के औसत भंडारण का 152% है.

राज्यों से समाचार

भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार और विश्व बैंक ने जल प्रबंधन प्रथाओं में सुधार लाने और प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध इस पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में चयनित ग्राम पंचायतों (ग्राम परिषदों) में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए 11.03.2020 को 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए.

हिमाचल प्रदेश में सोर्स सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट रेजिलिएंट वर्षा सिंचित कृषि के लिए एकीकृत परियोजना 10 जिलों के 428 ग्राम पंचायतों में लागू की जाएगी, जिसमें 400,000 से अधिक छोटे किसानों, महिलाओं और ग्रामीण समुदायों को लाभ होगा. इस परियोजना से वनों, चरागाहों और घास के मैदानों में प्रतिप्रवाह जल स्रोतों में सुधार होगा और यह सुनिश्चित होगा कि हिमाचल प्रदेश और अनुप्रवाह राज्यों में टिकाऊ कृषि के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो.

डाटा कॉर्नर- सिंचाई विकास में शीर्ष 10 राज्य

क्रम संख्या.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	निवल सिंचित क्षेत्र (मि.हे.)
1	उत्तर प्रदेश	13.70
2	मध्य प्रदेश	8.42
3	राजस्थान	7.76
4	गुजरात	5.32
5	पंजाब	3.94
6	पश्चिम बंगाल	3.53
7	हरियाणा	3.49
8	कर्नाटक	3.41
9	बिहार	3.29
10	आंध्र प्रदेश	3.16

(स्रोत: कृषि संगणना, 2015-16)

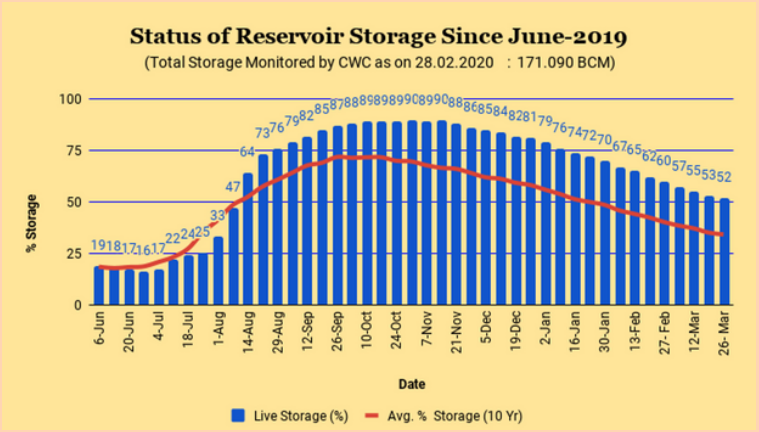

कृषि और इसकी संबद्ध गतिविधियों में क्लाइमेट रिजिलिएन्स को बढ़ाना परियोजना का एक प्रमुख घटक है जिसके लिए केंद्र बिंदु पानी का कुशल उपयोग है. यह परियोजना, जल गुणवत्ता और मात्रा की निगरानी के लिए जल वैज्ञानिक निगरानी स्टेशन स्थापित करेगी. यह न केवल बेहतर भूमि उपयोग और कृषि निवेशों के माध्यम से भविष्य के पानी के बजट का आधार बनाने में मदद करेगा, बल्कि अधिक समग्र जल ग्रहण उपचार (कैट) योजनाओं को भी सुनिश्चित करेगा जो स्रोत स्थिरता, कार्बन सेकुएस्ट्रेसियन और जल गुणवत्ता पर आधारित हैं. इस तरह के प्रयासों से राज्य के लिए कार्बन लाभ उत्पन्न होने की भी उम्मीद है.

इस परियोजना क्षेत्र के लिए प्रति हेक्टेयर शुद्ध जीएचजी लाभ 0.6 टन कार्बन डाइ आक्साइड/ हे. / वर्ष होने का अनुमान है. इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट से 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण में अंतिम परिपक्वता 14.5 वर्षों की है जिसमें पांच वर्षों की अनुग्रह अवधि शामिल है.

जल क्षेत्र - समाचार

- जल संसाधन मंत्री ने किया कलसा—बंडूरी क्षेत्र का दौरा (पंजाब केसरी, 01.03.2020)
- 5 लाख 70 हजार साल पुरानी लोनार झील में छिपे हैं कई रहस्य (नवभारत टाईम्स, 01.03.2020)
- केदारनाथ की चौराबाड़ी झील दो हजार साल से ज्यादा पुरानी (हिन्दुस्तान, 02.03.2020)
- हिमालयी शहरों में हो सकता है पानी का संकट (हिन्दुस्तान, 02.03.2020)
- बाढ़ से बदल गई थी जिस नदी की धारा, 49 गांव के लोगों और आईआईटी के अथक प्रयासों से 13 साल जी उठी 'संकरी' (दैनिक भास्कर, 05.03.2020)
- अब बाड़मेर—जैसलमेर में मिला 482 बिलियन क्यूबिक मीटर का जल भंडार (राजस्थान पत्रिका, 07.03.2020)
- मध्य प्रदेश ने अपने हिस्से का पूरा पानी मांगा, हाड़ौती में भी किसान आंदोलन की राह पर (राजस्थान पत्रिका, 09.03.2020)
- रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाने की समय—सीमा पूरा होने में सिर्फ 17 दिन, जुर्माने की हो सकती है कार्रवाई (दैनिक भास्कर, 14.03.2020)
- 'नमामि गंगे' अभियान से गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता सुधरी : शाह (पंजाब केसरी, 14.03.2020)
- 'उज्ह नदी' का पानी पाक जाने से रोकने की कवायद (पंजाब केसरी, 16.03.2020)

विश्व जल दिवस

विश्व जल दिवस, 1993 से हर साल 22 मार्च को आयोजित किया जाता है, जो मीठे पानी के महत्व पर केंद्रित है. विश्व जल दिवस वैश्विक जल संकट से निपटने के लिए जागरूकता बढ़ाता है. विश्व जल दिवस का मुख्य केंद्र बिंदु सतत विकास लक्ष्य 6: 2030 तक सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धि का समर्थन करना है.

विश्व जल दिवस 2020 जल और जलवायु परिवर्तन तथा दोनों किस तरह से जुड़े हुए हैं - के बारे में था. विश्व जल विकास रिपोर्ट के 2020 संस्करण का शीर्षक 'जल और जलवायु परिवर्तन' है, जिसका उद्देश्य जल से जुड़े समुदाय को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में मदद करना और जलवायु परिवर्तन से जुड़े समुदाय को उन अवसरों के बारे में सूचित करना है जो अनुकूलन और शमन द्वारा बेहतर जल प्रबंधन के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं.
इसे निम्न यूआरएल से प्राप्त किया जा सकता है:
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372985.locale=en

के.ज.आ. द्वारा नया प्रकाशन

राज्यों द्वारा विधिवत पुष्टि की गई, वर्ष 2018 तक बाढ़ से नुकसान के आंकड़ों को के.ज.आ. में अंतिम रूप दिया गया है. प्रकाशन में अब 1953 से 2018 तक का डाटा है. इसे निम्नलिखित लिंक से प्राप्त किया जा सकता है.
http://cwc.gov.in/sites/default/files/final-flood-damage-data-2018.pdf

आईएसआरडब्लूडी नियमों में संशोधन हेतु समिति

अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019 को लोकसभा द्वारा 31.07.2019 को पारित किया गया और इसे राज्यसभा में उचित समय पर विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा. आईएसआरडब्लूडी (संशोधन) विधेयक के अधिनियमित होने पर इसके प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए नियमों की आवश्यकता होगी. इस संबंध में, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि., जल शक्ति मंत्रालय ने 15.10.2019 को सदस्य(डब्लूपीएंडपी), के.ज.आ. की अध्यक्षता में मौजूदा अंतर-राज्यीय नदी विवाद नियम, 1959 (जनवरी 2011 में अंतिम संशोधन किया गया) में संशोधन करके मसौदा नियम तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया. तदनुसार, समिति ने चार बैठकें कीं, जिसके दौरान आईएसआरडब्लूडी (संशोधन) विधेयक, 2019 के विभिन्न खंडों और उप-खंडों के साथ-साथ मौजूदा आईएसआरडब्लूडी नियमों पर विस्तृत चर्चा की गई. समिति की चार बैठकों के दौरान लिए गए निर्णयों और समिति के सदस्यों के सुझावों / विचारों के आधार पर, संशोधित नियमों के मसौदे को 18.03.2020 को अंतिम रूप दिया गया और आगे की कार्रवाई के लिए ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि. को प्रस्तुत किया गया है.

दीर्घा

श्री आर.के. गुप्ता, सदस्य(डीएंडआर), के.ज.आ. 2 मार्च 2020 को के.ज.आ., नई दिल्ली में बांध सुरक्षा विधेयक के संदर्भ में नियमों को तैयार करने के लिए समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए.

गरुडेश्वर वियर का निर्माण, नर्मदा बांध के 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में एक मिलियन एकड़ फीट (एमएएफ) पानी यानि नर्मदा बांध की क्षमता का चौथाई हिस्सा, संग्रहित करने के लिए किया जा रहा है. बिजली पैदा करने के लिए वियर से पानी वापस पंप किया जाएगा.

के.ज.आ. के अधिकारियों की एक टीम द्वारा आंध्र प्रदेश में पोलावरम सिंचाई परियोजना का दौरा 06.03.2020 को किया गया. यह ज.सं.न.वि.एवं गं.सं.वि., जल शक्ति मंत्रालय द्वारा घोषित 16 राष्ट्रीय परियोजनाओं में से एक है.

झारखंड में सर्वे एवं अन्वेषण गतिविधियों की झलक

झारखंड में सर्वे एवं अन्वेषण गतिविधियों की झलक भूस्वा और बरकट्ठा जलाशय योजना के लिए रांची कार्यालय में जीएसआई द्वारा कोर लॉगिंग

खारस्वती सिंचाई योजना झारखंड में प्रस्तावित बांध अक्ष पर नदी तल में डायमंड कोर ड्रिलिंग

बरकट्ठा जलाशय योजना, हजारीबाग, झारखंड में भू-तकनीकी अन्वेषण

शोक संदेश

1. डॉ. के.सी.थॉमस

डॉ. के. सी. थॉमस, पूर्व अध्यक्ष, के.ज.आ. का दिनांक 20.03.2020 को स्वर्गवास हो गया. उनका जन्म 29.06.1922 को केरल के थिरुवेल्ला जिले के वलोमकोलम में हुआ था. वह त्रिवेंद्रम इंजीनियरिंग कॉलेज में स्नातक के पहले बैच से थे. उन्हे 1945 में अमेरिका के कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय में सिविल इंजीनियरिंग में एमएससी करने के लिए छात्रवृत्ति मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. उन्होने 1948 में भारत लौटने से पहले वहाँ से अपने डॉक्टरेट को पूरा किया.

के.ज.अ.से. वर्ग -1 के अधिकारी डॉ. थॉमस, मई 1949 में तत्कालीन सीडब्ल्यूपीसी में शामिल हुए. विभिन्न पदों पर कार्य करने के बाद, उन्हें 20-07-1974 को सदस्य(डीएंडआर), सीडब्ल्यूपीसी और पदेन संयुक्त सचिव, भारत सरकार के रूप में पदोन्नत किया गया. सितंबर 1975 में, उन्हें भूटान में चूका जलविद्युत परियोजना का प्रमुख नियुक्त किया गया. बाद में वे अध्यक्ष, के.ज.आ. के पद पर 01-11-1978 से 30-06-1980 तक कार्यरत रहे. सेवानिवृत्ति के बाद, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के लिए और फिर बांधों पर एक सलाहकार के रूप में काम किया.

जल संसाधन विकास परियोजनाओं की योजना, डिजाइन, क्रियान्वयन और प्रशासन में उनका व्यापक अनुभव था और उन्होंने जल संसाधन विकास के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों के बारे में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया.

2. श्री गुज्जू रामबाबू

श्री गुज्जू रामबाबू, अधीक्षण अभियंता, कृष्णा एवं समन्वय परिमंडल, के.ज.आ., हैदराबाद का लंबी बीमारी के बाद 19.03.2020 को निधन हो गया. उनका जन्म 30.08.1969 को हुआ था. उन्होंने 1993 में उस्मानिया विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से सिविल इंजीनियरिंग में बीई किया और 1999 में केंद्रीय जल आयोग में सहायक निदेशक के पद पर नियुक्त हुए. शुरुआत में उन्होंने सरदार सरोवर बांध के पावर हाउस के डिजाइन में काम किया.

बाद में, उन्होंने सब-डिवीजनल इंजीनियर और कार्यकारी अभियंता की क्षमता में के.ज.आ. के क्षेत्रीय संगठनों में कार्य किया.

वर्ष 2004 में उन्हें उप निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया और बाद में वे 2012 में निदेशक बने. एनएमसीजी की आवश्यकताओं के आधार पर, उन्होंने एक वर्ष से अधिक समय तक निदेशक (तकनीकी) के रूप में भी कार्य किया. बाद में वह दुर्भाग्यपूर्ण निधन तक के.ज.आ., हैदराबाद कार्यालय में विभिन्न क्षमताओं में कार्य कर रहे थे. वह अपने पीछे पत्नी और दो बेटों को छोड़ गए हैं. दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए के.ज.आ.,मुख्यालय में 23.03.2020 को शोक सभा का आयोजन किया गया.

इतिहास से -1958 से 2020 तक -भारत में बाढ़ पूर्वानुमान का सफ़रनामा

बाढ़ से लगभग हर साल मानव जीवन और संपत्ति को काफी नुकसान होता है. देश में बाढ़ से प्रभावित कुल क्षेत्र के लगभग 50% क्षेत्र (40 मिलियन हेक्टेयर राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा मूल्यांकन किया गया) को तकनीकी और आर्थिक बाधाओं के कारण निम्न से मध्यम परिमाण के बाढ़ से उचित सुरक्षा प्रदान की गई है. सभी परिमाण के बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करना संभव नहीं है. बाढ़ के पूर्वानुमान और चेतावनी को बाढ़ शमन के लिए सबसे महत्वपूर्ण, विश्वसनीय और लागत प्रभावी गैर-संरचनात्मक उपायों के रूप में मान्यता दी गई है.

1954 और 1956 की विनाशकारी बाढ़ के कारण बाढ़ नियंत्रण के लिए केवल संरचनात्मक उपायों का उपयोग न करके मिसाल देने योग्य परिवर्तन के तौर पर गैर-संरचनात्मक उपायों की शुरुआत हुई.

भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1957 में उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता श्री ए.सी. मित्रा की अध्यक्षता में "बाढ़ पर उच्च स्तरीय समिति" का गठन किया गया. समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक यह थी:

"बाढ़ नियंत्रण के ज्ञात तरीकों से बाढ़ के नुकसान से पूर्ण या स्थायी प्रतिरक्षा संभव नहीं है. बाढ़ क्षेत्र वर्गीकरण और बाढ़ पूर्वानुमान एवं चेतावनी तथा इस प्रकार के उपायों को विशेष रूप से इसलिए विशेष महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनमें बड़े पूंजी निवेश की आवश्यकता नहीं होती है".

समिति की उपरोक्त सिफारिशों के आधार पर बाढ़ पूर्वानुमान को गैर-संरचनात्मक रूप में शुरू किया गया और तत्कालीन केंद्रीय जल और विद्युत् आयोग ने यमुना नदी पर राष्ट्रीय राजधानी के लिए पुरानी दिल्ली पुल पर एक पूर्वानुमान स्टेशन स्थापित करके नवंबर 1958 में भारत में बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी सेवा शुरू की.

देश के कई हिस्सों में 1968 की बाढ़ के कारण हुई काफी जन क्षति ने निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज किया. वर्ष 1969 में के.ज.आ. को गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, तीस्ता, महानदी और उड़ीसा के तटीय नदियों के बाढ़ प्रवण बेसिनों में बाढ़ पूर्वानुमान सेवाएँ देने की जिम्मेदारी दी गई.

सितंबर 1970 में ऊटी में आयोजित सिंचाई और विद्युत् राज्य मंत्रीयों के 5वें सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसरण में बाढ़ पूर्वानुमान व्यवस्था की समीक्षा की गई. इन सिफारिशों के आधार पर 1974 में गोदावरी और 1978 में कृष्णा नदी प्रणालियों के लिए बाढ़

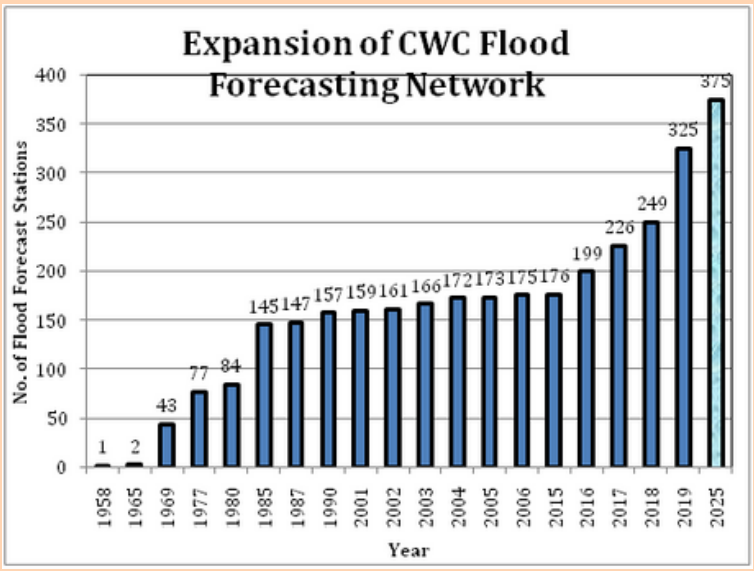

पूर्वानुमान गतिविधि शुरू की गयी. वर्ष 2001 की विनाशकारी बाढ़ के बाद गतिविधि को दक्षिण भारत में पेन्नार बेसिन में भी शुरू किया गया.

ग्यारहवीं योजना के अंत में देश के विभिन्न बेसिन में के.ज.आ. 175 बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों का संचालन कर रहा था. बारहवीं योजना के दौरान केज.आ. ने बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क को 100 और स्थानों के साथ-साथ अंतर्वाह पूर्वानुमान के लिए और अधिक बांध तथा बैराज शामिल करने का प्रस्ताव दिया. इसके अनुसार लेवल पूर्वानुमान स्टेशनों की संख्या को 147 से 183 तक और ज्यादातर बांधों को शामिल करते हुए इनफ़्लो पूर्वानुमान स्टेशनों की संख्या 27 से 92 तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया. तदनुसार, राज्य सरकारों से बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों के नेटवर्क के विस्तार के लिए स्थानों की पहचान करने का अनुरोध किया गया. 2017 से 2020 के बीच 14वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान अतिरिक्त 50 बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों को संचालित किया गया और इस प्रकार से 197 लेवल और 128 अंतर्वाह पूर्वानुमान स्टेशनों को मिलाकर बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों की कुल संख्या को 325 तक बढ़ाया गया.

केन्द्रीय जल आयोग
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग,
जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का
एक सम्बद्ध कार्यालय

संपादक - मंडल
- डॉ. समीर चटर्जी, मुख्य अभियंता(मा.सं.प्र.)- मुख्य संपादक
- श्री अमरेंद्र कुमार सिंह, मुख्य अभियंता(ईएमओ)-सदस्य
- श्री योगेश पैठणकर, मुख्य अभियंता(पीएमओ)- सदस्य
- श्री एच.एस. सेंगर, निदेशक(नदी प्रबंध समन्वय)-सदस्य
- श्री एस.के. राजन, निदेशक(तकनीकी समन्वय)- सदस्य
- श्री प्रवीण कुमार, निदेशक(डब्ल्यूएसई)-सदस्य
- श्री पदमा दोर्जे ज्ञाम्बा, निदेशक(डबल्यूपीएंडपी समन्वय) -सदस्य
- श्री चैतन्य के, उप निदेशक(आईएसएम-2)-सदस्य
- श्री आर के शर्मा, उप निदेशक(डीएंडआर समन्वय)-सदस्य
- श्री शिव सुंदर सिंह, उप निदेशक(डब्ल्यूएसई)-सदस्य सचिव

अनुवाद : श्री शशि कान्त तिवारी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी(डब्ल्यूएसई), के.ज.आ., नई दिल्ली

अभिकल्प एवं प्रकाशन
जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय
केन्द्रीय जल आयोग
द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110 066
ई मेल: media-cwc@gov.in